पं. रविशंकर शुक्लविश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
सामान्य प्रशासन
Phone No. 0771-2262587 Website : prsu.ac.in E-mail – adm.prsu@yahoo.in

/ /आदेश/ /

क्रमांक/2517/स्था./सा.प्रशा./2024 रायपुर, दिनांक 14/08/2024

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, के अतिथि व्याख्याता नीति 2024 के संदर्भ में प्राप्त पत्रों :–

(i) मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ 3–54/स्था./2020/38–1 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20/06/2024,

(ii) मंत्रालय का पत्र क्रमांक 77/नि.स./स./उ.शि./2024 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 12/07/2024

(iii) संचालनालय का पत्र क्रमांक 574/126/आउशि/राज.स्था./2024 दिनांक 06/07/2024

के अनुपालन में विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययनशालाओं में अन्तरिम व्यवस्था के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2023–24 में कार्यरत श्रेणी–1, श्रेणी–2 एवं श्रेणी–3 के अतिथि व्याख्याताओं को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित अध्ययनशाला/संस्थान में शैक्षणिक सत्र 2024–25 के लिए दिनांक 16/08/2024 से दिनांक 31.05.2025 तक रू. 500/–प्रति व्याख्यान प्रतिघंटा (अधिकतम 4 कालखण्ड प्रतिदिन) मानदेय के आधार पर शैक्षणिक एवं अन्य सम्बन्धित कार्यों के सम्पादन का अवसर प्रदान किया जाता है:–

क्र	अतिथि व्याख्याता का नाम	विभाग का नाम	श्रेणी
1	डॉ. शोभना रामटेके	पर्यावरण विज्ञान अध्ययनशाला	1
2	डॉ. माधुरी वर्मा	पर्यावरण विज्ञान अध्ययनशाला	1
3	श्री सुधीर भोई	पर्यावरण विज्ञान अध्ययनशाला	2
4	श्री चुनेन्द्र कश्यप	पर्यावरण विज्ञान अध्ययनशाला	2

टीपः–1. अतिथि व्याख्याता नीति 2024 एवं छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा समय–समय पर अतिथि व्याख्याता व्यवस्था के संबंध में जारी निर्देशों का पालन करना बाध्यकारी होगा।

2. प्रायोगिक कक्षाओं की गणना करते समय 03 प्रायोगिक कक्षाओं को 02 सैद्धांतिक कक्षाओं के बराबर मान्य किया जायेगा।

3. अतिरिक्त कार्यों के लिये अतिथि व्याख्याता को प्रति कार्यदिवस 400/– एवं 1 माह में अधिकतम 20 कार्यदिवसों के लिए 8000/– रू देय होगा किन्तु किसी भी स्थिति में अध्यापन कालखंड एवं अतिरिक्त कार्यों को मिलाकर कुल मानदेय प्रतिमाह रू 50,000/– ये अधिक नहीं होगा।

4. अतिथि व्याख्याता को इस आशय का शपथ पत्र (परिशिष्ट–2) विभागाध्यक्ष को देना होगा कि उसके विरूद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं हैं, साथ ही वह किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर सेवायें समाप्त नहीं की गई है।

क्रमशः–

5. अतिथि व्याख्याताओं के शैक्षणिक कार्यो का मूल्यांकन प्रत्येक माह होगा, कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर या किसी प्रकार के शिकायत पाये जाने पर, किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के अतिथि व्याख्याता के संदर्भ में किया गया चयन समाप्त कर दिया जाएगा।
6. यह आदेश भविष्य में नियमितिकरण का आधार नही होगा।
7. अतिथि व्याख्याताओं के संबंध में यह अन्तरिम व्यवस्था अत्यंन्त अस्थायी है तथा शैक्षणिक पदों के नियमित नियुक्ति पर यह आदेश स्वतः शून्य हो जाएगा।
8. यह आदेश याचिका क्रमांक WPS No. 4034/2024 गायत्री शर्मा VS राज्य शासन (छ.ग.) में दिनांक 08/08/2024 को माननीय उच्च न्यायालय (छ.ग.) द्वारा दिये गये निर्णय के अध्ययधीन होगा।

आदेशानुसार

14/8/24

कुलसचिव

पृ. क्रमांक/2518/स्था./सा.प्रशा./2024 रायपुर, दिनांक 14/08/2024

प्रतिलिपि :-

1. अध्यक्ष, पर्यावरण विज्ञान अध्ययनशाला, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. वित्त अधिकारी, वित्त विभाग
3. कुलपति /कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।

उपकुलसचिव(सा.प्रशा.)